

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आह्वाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
279 / 2024

दायर दिनांक
11.06.2024
उनवान

निर्णय दिनांक
13.06.2024

1. खेमा पिता नारायण जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी मनकडी तह० कोटडी।
2. रूपा पिता नारायण जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी मनकडी तह० कोटडी।
3. रामा पिता नारायण जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी मनकडी तह० कोटडी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगू पिता किशना बंजारा उम्र वयस्क निवासी मनकडी त०कोटडी।
2. गोरू पिता मेघा बंजारा उम्र वयस्क निवासी मनकडी त० कोटडी।
3. सोजी पिता मेघा बंजारा उम्र वयस्क निवासी मनकडी त० कोटडी।
4. रतन पिता मेघा बंजारा उम्र वयस्क निवासी मनकडी त० कोटडी।
5. मन्ना पिता मेघा बंजारा उम्र वयस्क निवासी मनकडी त० कोटडी।
6. देवा पिता मेघा बंजारा उम्र वयस्क निवासी मनकडी त० कोटडी।
7. सुखदेव पिता मेघा बंजारा उम्र वयस्क निवासी मनकडी त० कोटडी।

—विपक्षीगण


उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी बालू लाल जोशी
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 07 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू—राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मनकडी प०ह० आमा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बड़लियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2073—2076 के खाता संख्या 18 की अभिलिखित आराजियात 370/248 कुल किता 01 कुल रकबा 0.6482 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 07 उपस्थित नही। प्रार्थी अधिवक्ता


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सवाईपुर को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा मनकड़ी प0ह0 आमा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बड़लियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के खाता संख्या 18 की अभिलिखित आराजियात 370/248 कुल किता 01 कुल रकबा 0.6482 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार सवाईपुर को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार सवाईपुर को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आब्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाडा